उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1501/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.249-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(309)-2023

लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा ऐसे कर योग्य व्यक्ति जो पूर्वोक्त अधिनियम (जिसे आगे 'उक्त आदेश' कहा गया है) की धारा 107 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 107 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर, पूर्वोक्त अधिनियम (जिसे आगे 'उक्त आदेश' कहा गया है) की धारा 73 या 74 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले पारित आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल नहीं कर पाए, और ऐसे कर योग्य व्यक्ति जिनकी उक्त आदेश के विरूद्ध अपील केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गई थी कि उक्त अपील को ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में (जिसे आगे "उक्त व्यक्ति" कहा गया है) धारा 107 में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर दाखिल नहीं की गई थी, जो ऐसे मामलों में अपील दाखिल करने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे:

2. उक्त व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के अनुसार 31 जनवरी 2024 को या उससे पहले प्ररुप जीएसटी एपीएल-01 में उक्त आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करेगा:

परंतु यह कि उक्त आदेश के खिलाफ अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के उपबंधो के अधीन दायर हो, और इस अधिसूचना के जारी होने से पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, इस अधिसूचना के अनुसार दायर की गई समझी जाएगी, जो नीचे पैरा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी।

3. इस अधिसूचना के अधीन कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने भुगतान नहीं किया हो-

(क) आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और दंड की धनराशि का पूरा हिस्सा, जैसा कि उसके द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(ख) उक्त आदेश से उत्पन्न विवाद में कर की शेष धनराशि का साढ़े बारह प्रतिशत के बराबर धनराशि, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यधीन, जिसके संबंध में अपील दाखिल की गई है, जिसमें से कम से कम बीस प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट कर के भुगतान किया जाना चाहिए था।

4. अपीलकर्ता को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील दायर करने के लिए, किसी भी धनराशि जो की इस अधिसूचना के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक हो और जो, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं या किसी प्राधिकरण (या) न्यायालय के निर्देश पर, इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान की गई हो, का इस अधिसूचना के आधार पर अपील के निपटारे तक कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

5. इस अधिसूचना के अधीन कोई भी अपील ऐसी मांग जिसमें कर सम्मिलित नहीं हो के संबंध में स्वीकार्य नहीं होगी।

6. इस अधिसूचना के अधीन दाखिल अपील पर उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियम, 2017 के अध्याय XIII के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।

7. यह अधिसूचना दिनांक 2 नवम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव